**विधान परिषद के प्रथम सत्र 2022 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-5 का उत्तर :**

| प्रश्न | | उत्तर |
|---|---|---|
| 5(क) | क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा की गई IGRS शिकायत संख्या-18157220009289 की जांच में जिन भ्रष्ट अधिकारियों की सूची दी गई है उनको निलम्बित/ बर्खास्त करेंगे ? | प्रश्नकर्ता मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी को सम्बोधित IGRS शिकायत संख्या-18157220009289 के माध्यम से जनपद सोनभद्र, मीरजापुर एवं वाराणसी जनपदों में परिवहन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध एवं बगैर नम्बर प्लेट के मालवाहकों द्वारा विभिन्न खनिजों के अभिवहन किये जाने की शिकायत की गयी थी, जिसके साथ भ्रष्ट अधिकारियों की सूची संलग्न नहीं थी।<br><br>उपर्युक्त आईजीआरएस संदर्भ की जांच के लिए परिवहन आयुक्त कार्यालय के आदेश दिनांक 22.02.2022 द्वारा एक जांच समिति गठित की गयी थी। जांच समिति के पत्र दिनांक 11.4.2022 द्वारा जांच आख्या उपलब्ध करायी गयी। समिति की आख्या के अनुसार जनपद वाराणसी, मीरजापुर एवं सोनभद्र के मुख्य मार्गो पर समिति द्वारा दिनांक 02.04.2022 एवं 03.04.2022 को कुल चेक 100 ट्रकों/मालवाहक वाहनों में से 08 वाहन ओवरलोड पाये गये और उनका सुसंगत धाराओ में चालान किया गया एवं बिना नम्बर प्लेट, गलत नम्बर प्लेट एवं अपठनीय नम्बर प्लेट संचालित पायी गयी कुल 40 माल वाहनो का चालान किया गया। उक्त |

| | | |
|---|---|---|
| | | जनपदों के इन मुख्य मार्गो पर जगह-जगह कतार में कुछ माल यान खड़े पाये गये, जोकि प्रथम दृष्टया ओवरलोड परिलक्षित हो रहे थे। अत: इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि उक्त मार्गो पर ओवरलोड वाहनों का संचालन नहीं हो रहा है। समिति द्वारा सैम्पल चेकिंग के दौरान संचालित माल वाहक यानों के ड्राइवरों से समिति के सदस्यों द्वारा पूछताछ में ओवरलोड माल वाहनों के संचालन में किसी भी विभागीय अधिकारी या कर्मचारी की संलिप्तता का तथ्य प्रकाश में नहीं आया। |
| (ख) | यदि हॉ, तो कब तक ? | - उपरोक्तानुसार- |
| (ग) | यदि नहीं, तो क्यों ? | प्रश्न नहीं उठता। |

दयाशंकर सिंह,
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
परिवहन विभाग।